न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 78/2019

1– सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट (सुखदेव आश्रम)मुख्य कार्यालय 68 नलीनी सेठ रोड़, कोलकत्ता 700007 स्थानीय कार्यालय सुखदेव आश्रम लाडनूं ट्रस्टी (1) अशोक कुमार जैन पुत्र तोलाराम जैन, जाति जैन, निवासी लाडनूं हाल निवासी 68 नलीनी सेठ रोड़ कलकत्ता 700007,

2–घीरेन्द्र जैन पुत्र रतनलाल जैन, जाति जैन, निासी लाडनूं तहसील लाडनूं। हाल निवासी 8 लॉवर रोडॉन स्ट्रीट कलकता, जरिये आम मुख्त्यार व्यवस्थापक श्री धर्मचन्द गोधा पुत्र मिलापचन्द गोधा (जैन) जाति जैन निवासी मालियों का बास लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर (राज0)।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान।

2– तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 45/2017 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम व्यवस्थापक सुखदेव आश्रम लाडनूं निर्णय दिनांक 03.01.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 45/2017 बअनुवान पटवारी हल्का लाडनूं बनाम व्यवस्थापक सुखदेव आश्रम लाडनूं में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 14–18 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 खड्डा में से रकबा 00.03 बीघा भूमि पर संवत 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिवार बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 4/– अक्षरे चार रूपये कायम किया गया।

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03.01.2019 को पारित करने में भारी कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)–यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.01.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर बिना कोई गोर फरमाये ही तथा बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.01.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की झुठी व गलत रूप से प्रस्तुत अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट उपरोक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 गै0मु0 खंदेड़ा की भूमि रकबा 00.03 बीघा पर अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जो पूर्णतया गलत व अस्वीकार है जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त अपीलाधीन आदेश के अधीन वर्णित भूमि शुरू से ही सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्टकी निजी स्वामित्व व कब्जा आधिपत्य की है जिस पर आज से 70–80 वर्ष पूर्व वर्तमान भवन सुखदेव आश्रम का मय मंदिर व गार्डन के निर्माण करवाया गया था जो उक्त निर्माण के समय से ही समय समय पर स्थानीय निकाय की निर्माण स्वीकृति लेकर निर्माण किया गया होकर आज दिन चारों और वर्षो पुरानी पक्की चार दीवारी से घिरा हुआ है जो मंदिर/जायगा आबादी भूमि कस्बा लाडनूं में स्थित है जिस पर साधिकार आज दिन तक निर्बाध रूप से सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट पूर्णतया साधिकार काबिज है जो उक्त स्वामित्व संबंधी रजिस्टर्ड एवं पंजीयन विभाग में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पंजीकृत वैद्य दस्तावेजों के अस्तित्व में अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त आलोच्य आदेश खारिज फरमाया जावें ।

{3}(4) – यह है कि उक्त आलोच्य आदेश में वर्णित जायगा सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट कॉलकत्ता स्थानीय कार्यालय लाडनूं की निजी जायगा है जो कस्बा लाडनूं की आबादी भूमि में स्थित है एवं लगभग 12000 वर्गगज भूमि में पक्की चार दीवारी से घिरी हुई है जो चार दीवारी वर्षो पुरानी है तथा उपरोक्त जायगा सुखदेव आश्रम लाडनूं के नाम से जानी पहचानी जाती है जो कि तत्कालीन समय के रहे जागीरदार लाडनूं ठिकाना लाडनूं के द्वारा जारी आबादी पटटा के अधीन रही भूमि है एवं उपरोक्त जायगा के अधीन आयी हुई भूमि भिन्न भिन्न व्यक्तियों सस्थाओं/निकाय द्वारा सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट को हस्तान्तरित की गयी होने से हस्तान्तरण दिनांक से ही उपरोक्त आलोच्य अपीलाधीन आदेश अधीन रही जायगा पर एकमात्र वैद्य स्वामित्व से सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट का चला आ रहा है तथा उक्त जायगा आबादी जायगा में स्थित होने से अपीलाधीन आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(5)–यह है कि सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट की उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश के अधीन रही भूमि का तत्कालीन जागीरदार अपनी जागीर के अधीन भूमियों को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने की अधिकारिता के तहत ही हस्तान्तरित किया था एवं उपरोक्त पट्टासुदा आबादी भूमियों का आगामी हस्तान्तरण होते होते सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट को भी रजिस्टर्डसुदा दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व की होकर कब्जा आधिपत्य व स्वामित्व प्राप्त कर उपयोग उपभोग में ली जा रही है तथा उक्त तथ्य अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में वर्णित किये जाने एवं संलग्न फेरियस्त दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय के उक्त तथ्यों पर बिना कोई गौर फरमाये ही अधिकारिता से परे जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सुस्थापित विधि के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाया जाने योग्य है।

{3}(6) –यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश मे वर्णित खसरा नम्र 1639 से संबंधित भूमियो का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेकों पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठाशीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियोकं के विरूद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वैषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(7)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29.04.2019 में भू0अ0नि0 लाडनूं की रिपोर्ट दिनांक 29.04.2019 तथा अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधीकारी तहसीलदार भू0 अ0 के आदेश भू0अ0/ 2017 / 1032–1038 दिनांक 08.4.2017 की पालना में प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरान की विभाजित भूमियो एवं खसरा नम्बर 1851 व 1852

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जो कि आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के पास ही स्थित है के चारों ओर संघन आबादी क्षैत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नही करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकर्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सींमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

{3}(8)–यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भू.अ. की हैसियत से जारी पत्रांक भू0अ0/2017/1032–38 दिनांक 08.04.2017 के तहत गठित टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अतिक्रमण का आधार माना है जबकि उपरोक्त टीम द्वारा बिना किसी सीमा चिन्ह बिन्दू को निश्चित नहीं किये हुये ही सींमाज्ञान किया है जो उपरोक्त टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अंकित है कि उपरोक्त क्षेत्र संघन आबादी क्षेत्र है जिस कारण गुगल मेप गुगल अर्थ, प्रो आदि सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर की मदद लिया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जबकि उपरोक्त आधारों पर तैयार की गयी सींमाज्ञान रिपोर्ट को कतई विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि उपरोक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर मात्र जानकारी प्रदत करने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश, परिपत्र सरकुलर आदि जारी नहीं किये गये जानकारी प्रमाणिक कि तारिफ में नहीं आती है मात्र खानापूर्ति करने के लिये संयुक्त रूप से गठित टीम ने उक्त सीमांज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो बिना किसी प्रमाणित माप व आधुनिक प्रमाणिक के संयंत्रों के द्वारा तैयार की गयी होने के बावजूद भी उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का अभिन्न अंग माना है एवं प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त अतिक्रमण मानते हुये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बेदखली का आदेश प्रदान किया है जो कतई विधि सम्मत व राजस्व नियमों अधिनियमों के अनुकूल नहीं होने से काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जावे।

(3)(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी केतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त क्रयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

(3)(10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से सम्बन्धित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने से पूर्व पक्ष अपीलार्थी विरूद्ध रेस्पोडेन्ट अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी प्राप्त करना चाह रहा है जो प्रदान किया जाना उचित एवं न्याय संगत होकर विधि सम्मत व प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है। उपरोक्त स्थगन आदेश न प्रदान कराने की स्थिति में प्रार्थी अपीलार्थी की अपील का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी अपीलार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जायेगा। उपरोक्त निर्णय दिनांक की जानकारी से पूर्व व्यतीत समय को कण्डोन किया जाना भी न्याय संगत होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार की सींमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व रेकर्ड में दर्ज गट्ठा अनुसार प्रस्तुत नहीं की है एवं किन किन व्यक्तियो/मौतबीरान के समक्ष उक्त अतिक्रमित बताई जाने वाली भूमि का सीमाज्ञान किया गया उक्त उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर भी सींमाज्ञान रिपोर्ट में नहीं है मात्र प्रार्थी/अपीलार्थी से रंजिश रखने वाले लोगों द्वारा मनगढत एवं झुठे तथ्यों पर की गयी शिकायत पर हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है जो रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण होने से उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 08.08.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 08.08.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 350 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा प्राप्त हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(5)– अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनो प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनो प्रार्थना पत्रो का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत अपीलान्ट के तीनों प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये गये।

(6) –प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि के बाद विलम्ब से पेश की है जिसके लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.8.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निर्णय दिनांक 03.01.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से या जानकारी होने पर नकल लेने से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील की नकले 17.07.2019 को प्राप्त की तथा अप्रार्थी ने बताया कि उसे निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी अतः निर्णय की जानकारी नकल लेने से हुई होने से अपीलार्थी को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं ।

(7)– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्ण रूप से आबादी बस चुकी है तथा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश के अधीन वर्णित भूमि शुरू से ही सुखदेव चेरिटी स्टेट ट्रस्ट की निजी स्वामित्व व कब्जा आधिपत्य की है जिस पर 70–80 वर्ष पूर्व वर्तमान भवन सुखदेव आश्रम का मय मंदिर व गार्डन के निर्माण करवाया हुआ है। इस आश्रम में निर्माण हेतु समय समय पर नगरपालिका लाडनूं द्वारा स्वीकृति लेकर ही निर्माण कार्य कराया गया है। यह आश्रम पुराना होकर जहां पर निर्मित है वहां की भूमि ठिकाना लाडनूं के जागीरदार द्वारा जारी आबादी भूमि के पटटे के अन्तर्गत आती है। यह भूमि सुखदेव आश्रम को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भेंट, विक्रय आदि की हुई है। राजस्व टीम द्वारा बिना किसी निश्चित बिन्दू के ही नपती कर सीमांज्ञान किया गया है जो सही नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यो को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 45/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनूं बनाम व्यवस्थापक सुखदेव आश्रम लाडनूं में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(8) – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 नया खसरा ऑनलाईन व अमलदरामद के पश्चात नया खसरा नं0 2936/1639 गै0मु0 खड्डा के 9 नये गै0मु0 आबादी में खसरे विभाजित अलग अलग तरमीम हो चुके है। नया नक्शा तरमीम के पश्चात गजराज पुत्र सुखदेव पुत्र सुखदेव सरावगी गंगवाल लाडनूं के द्वारा रकबा 03 बिस्वा भूमि का मौका देखा गया मौके पर खसरा 1639 नया 2936/1639 खसरे के अनुसार अतिक्रमण भूमि 03 बिस्वा का मौका जांच की गई। मौके पर सुखदेव आश्रम के व्यवस्थापक द्वारा उक्त भूमि को पुराना पटटा शुदा आबादी भूमि की नकल पेश की गई व नगरपालिका द्वारा स्वीकृति पत्र दिनांक 11.05.1964–1965 के पत्रों की प्रति पेश की गई जिसके आधार से खसरा 1639 में 03 बिस्वा भूमि पुरानी आबादी आश्रम की चार दिवार व मकानात में शामिल की गई है। मौके पर नक्शा के अनुसार खसरा 2292/1639 गै0मु0 आबादी भूमि व खसरा 2935/1639 गै0मु0 खातेदार भूमि के सड़क सीमा से छोड़कर उत्तर तरफ चार दिवार में 03 बिस्वा भूमि स्थित है। जो खसरा पुरानी आबादी भूमि में शामिल किया गया है। वर्तमान में ऑनलाईन नक्शा के मुताबिक आश्रम में से 03 बिस्वा भूमि नया खसरा 2936/1639 गै0मु0 भूमि खड्डा का हिस्सा है। जो सरकारी भूमि है।

तहसीलदार लाडनूं की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पुराना आबादी पटटा भूमि में से बताया है। मौके के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1639 में 03 बिस्वा भूमि पुरानी पुरानी आबादी आश्रम की चारदिवारी व मकानात में शामिल की गई बताई है। मौके पर नक्शा के अनुसार खसरा 2292/1639 गै0मु0 आबादी भूमि व खसरा नं0 2935/1639 गै0मु0 खातेदारी भूमि के सड़क सीमा से छोड़कर उत्तर तरफ चार दिवार में 03 बिस्वा भूमि स्थित है जो खसरा पुरानी आबादी भूमि में शामिल किया हैं। इस भूमि के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दोनों तरफ मकानात आबादी बनी हुई है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जॉच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण जॉच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)